रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072025-264873
CG-DL-E-22072025-264873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 21, 2025/आषाढ़ 30, 1947
No. 439]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2025/ASHADHA 30, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 482(अ).—कतिपय प्रारुप नियम, अर्थात् पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2024 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन, यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण में, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 680 (अ) तारीख 1 नवंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को 1 नवंबर, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति पर प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
1	2	3	4
"36.	**एल्युमीनियम संयंत्र**	**उत्सर्जन**	
	(क) एल्युमीनिया परिष्करणी		
	(i) कच्ची सामग्री की उठाई-धराई	कणिकीय पदार्थ (मि.ग्रा./सा.घन मी .)	150
	(ii) निस्तापन संयंत्र	कणिकीय पदार्थ (मि.ग्रा./सा.घन मी .)	100
		कार्बन मोनोक्साइड	1% अधिकतम
		स्टेक ऊंचाई	(टिप्पण 1 के अनुसार)
		सल्फर डाइऑक्साइड	(टिप्पण 2 के अनुसार)
	(ख) एल्युमीनियम प्रगालक		
	(i) हरित ऐनोड संयंत्र	कणिकीय पदार्थ (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	100
	(ii) ऐनोड पकाई संयंत्र	कणिकीय पदार्थ (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	50
		कुल फ्लोराइड (एफ)	एल्युमीनियम (अधिकतम) के 0.3 किग्रा/एमटी
		सल्फर डाइऑक्साइड	(टिप्पण 2 के अनुसार)
	(iii) विद्युत अपघटनी पात्रकक्ष	कणिकीय पदार्थ (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	पुरानी इकाइयां- 50 (31.12.2010 को या उससे पहले स्थापित)
			नई इकाइयां- 30 (01.01.2011 को और उसके पश्चात् स्थापित)
		कुल फ्लोराइड (एफ)	एल्युमीनियम (अधिकतम) के 0.8 किग्रा/एमटी
	(iv) निक्षेपण भट्ठी (तेल भट्ठी	कणिकीय पदार्थ (मि.ग्रा./सा.घन मी.)	150
		सल्फर डाइऑक्साइड	(टिप्पण 2 के अनुसार)
	(ग) फोरेज फ्लोराइड के लिए मानक (शुष्क वजन के आधार पर)		
		बारह लगातार मास का औसत	40 पीपीएम
		दो लगातार मास का औसत	60 पीपीएम
		एक मास का औसत (दो नमूनों का – 12 दिन के अंतराल पर)	80 पीपीएम

टिप्पण :-

1. उपर्युक्त प्रक्रियाओं के लिए स्टैक की ऊंचाई, पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन के आधार पर पर्यावरणीय अनापत्ति में या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी की गई सहमति में यथाविहित, जो भी अधिक हो, मानी जाएगी ।
2. 1 प्रतिशत से अधिक सल्फरयुक्त ईंधन जैसे कि हल्का डीजल तेल, लो सल्फर स्टॉक आदि का निस्तापन संयंत्र, ऐनोड पकाई संयंत्र और तेल ज्वलन निक्षेपण भट्ठी में उपयोग किया जाएगा ।
3. निरंतर उत्सर्जन मॉनीटरी प्रणाली में संबद्ध प्रक्रिया स्टैक में धुआंकश गैस प्रवाह माप के साथ कणिकीय पदार्थ और सल्फर डाइआक्साइड की मानीटरी करने के लिए स्थापित किया जाएगा, जहां भी लागू हो ।
4. विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में एल्युमीनियम फ्लोराइड (एवनएफ के रुप में) का उपभोग अधिसूचना की तारीख से प्रभावी उत्पादित एल्युमीनियम के प्रति टन 20 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा ।
5. उपर्युक्त यथाउल्लिखित फोरेज फ्लोराइड मानीटरी ऐसे अवस्थानों पर संचालित की जाएगी जहां उद्योग के बाहर अधिकतम फ्लोराइड सांद्रता प्रत्याशित है और बिना धुले नमूने नमी की मात्रा के आधार पर 24 से 48 घंटे के लिए 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सुखाया जाएगा ।
6. प्रक्रिया बहि:स्राव मानदंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी सहमति के अनुसार लागू होंगे ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन अधिसूचित और समय समय पर यथासंशोधित औद्योगिक वाष्पित्रों के लिए मानदंड एल्युमीनियम परिष्करणी और एल्युमीनियम प्रगालक के वाष्पित्रों के लिए लागू होंगे" ।

[फा. सं. क्यू. -15017/6/2024-सीपीडब्ल्यू]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्यांक का.आ. 844 (अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 465 (अ), तारीख 11 जुलाई, 2025 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2025

G.S.R. 482(E).— Whereas, certain draft rules, namely the Environment (Protection) Amendment Rules, 2024 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number G.S.R. 680(E), dated the 1st November, 2024, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 1st November, 2024;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on expiry of two years from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, for serial number 36 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

S.No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
"36.	ALUMINIUM PLANTS	EMISSIONS	
	(a) Alumina Refinery		
	(i) Raw Material Handling	Particulate Matter (mg/Nm^3)	150
	(ii) Calcination Plant	Particulate Matter (mg/Nm^3)	100
		Carbon Monoxide	1% Max.
		Stack Height	(as in Note 1)
		SO_2	(as in Note 2)
	(b) Aluminium Smelter		
	(i) Green Anode Plant	Particulate Matter (mg/Nm^3)	100
	(ii) Anode Baking Plant	Particulate Matter (mg/Nm^3)	50
		Total Fluoride (F)	0.3 kg/MT of Al (Max.)
		SO_2	(as in Note 2)
	(iii) Electrolytic Pot Room	Particulate Matter (mg/Nm^3)	Old units - 50 (set up on or prior to 31.12.2010)
			New units - 30 (set up on and after 01.01.2011)
		Total Fluoride (F)	0.8 kg/ton of Al (Max.)
	(iv) Casting Furnace (oil furnace)	Particulate Matter (mg/Nm^3)	150
		SO_2	(as in Note 2)
	(c) Standards for Forage Fluoride (dry weight basis)		
		Twelve consecutive months average	40 ppm
		Two consecutive months average	60 ppm
		One month average (of two samples - 12 days apart)	80 ppm

Notes:

1. Height of the stack for above processes shall be as considered in Environmental Clearance based on the Environmental Impact Assessment study or as prescribed in the consent issued by State Pollution Control Board/Pollution Control Committee, whichever is more.
2. Fuels containing not more than 1% sulphur - such as Light Diesel Oil, Low Sulphur Heavy Stock etc., shall be utilized in the Calcination Plant, Anode Baking Plant and oil fired Casting Furnace.
3. Continuous emission monitoring system shall be installed for monitoring of Particulate Matter and Sulphur dioxide along with flue gas flow measurement in concerned process stack, as applicable.
4. The consumption of Aluminium Fluoride (as AlF_3) in the electrolysis process shall not exceed 20 kilograms per ton of aluminium produced with effect from the date of notification.
5. Forage fluoride monitoring as mentioned above shall be conducted at such locations where maximum fluoride concentration is expected outside the industry and the unwashed sample shall be dried at a temperature of 60 ^{0}C for 24 to 48 hr, depending on moisture content.
6. Process effluent norms shall be applicable as per consent issued by State Pollution Control Board/Pollution Control Committee.
7. The standards for industrial boilers notified under the Environment Protection Rules, 1986 and as amended from time to time shall be applicable for boilers of Aluminium Refinery and Aluminium Smelter".

[F. No. Q-15017/6/2024-CPW]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note :—The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number S.O.844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* G.S.R. 465(E), dated 11th July, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.07.22 11:50:44 +05'30'